

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला (टोंक)

निवासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

शाल संख्या:- 34 / 2024

निर्णय दिनांक :- 8/4/24

निवासी प्रार्थना पत्र:-

1. रामस्वरूप पुत्र मोहनदास जाति स्वामी उम्र बालिग निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0

बनाम

-प्रार्थीगण-

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

-अप्रार्थी-

उपस्थिति :- श्री राजेश जैन, श्री प्रतीक जैन
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 1165 खसरा नम्बर 2466 रकबा 0.7100 है0 वाके ग्राम नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि की नाप चोक कराई थी, जिसके सीमा चिन्ह मिट चुके है। प्रार्थीगण व अडोस पडोस के खातेदारों के मध्य सीमा व कब्जे को लेकर गम्भीर विवाद होने की संभावना है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि बाबत् उत्पन्न होने वाले विवाद को समाप्त करने के लिए उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। यदि उक्त भूमि की पत्थरगढी नही करवायी गई तो मोकें पर गंभीर विवाद होगा, लडाई झगडा होगा तथा अनावश्यक रूप मुकदमें बाजी बढेगी। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :- उक्त आराजी आवेदक की खातदारी में दर्ज होकर कब्जे काशत है। आराजी खसरा नम्बर 2466




100 है० के कुछ हिस्से पर खसरा नम्बर 2465 रकबा 0.05 है० के खातेदार
का है। आवेदक का अन्य पडोसी खातेदारो से सीमा विवाद है व खसरा नम्बर
रकबा 0.05 है० के खातेदार से सीमा विवाद होना बताया गया। आवेदक के
ग्राम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। किसी भी पक्षकार का विरासत नाम शेष नहीं है।
आवेदक का जिन खातेदारों से विवाद है उनको पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है।
उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नहीं है। आवेदक की खातेदारी
भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि नहीं है। पूर्व में सीमाज्ञान नहीं करवाया
गया है।

पत्रावली बहस में नियत की गई ।

अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की
प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया।
तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः
तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पडोसी
खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी का कब्जा होने पर नियमानुसार
पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर, जमाबंदी सम्वत् 2073-76 में अंकित
खाता संख्या 1165 खसरा नम्बर 2466 रकबा 0.7100 है० वाके ग्राम नासिरदा जिला
टोंक की विधिवत् पत्थरगढी प्रार्थी/प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की
जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल
दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
देवली